न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 57/2015

प्रार्थी *बनाम* **अप्रार्थी**

1.नटवर पुत्र रामाकिशन
जाति ब्राहम्ण उम्र 63 वर्ष
निवासी ग्राम नारायणपुरा
तहसील कुचामनसिटी (नागौर)

1.राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि भूमिधारी
तहसीलदार कुचामनसिटी जिला नागौर

Web Copy - Not Official

प्रार्थना–पत्र धारा 136 LAND REVENU ACT 1956

उपस्थित – श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

आदेश

दिनॉक :– 4/11/17

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 136 **Land Revenue Act** 1956 के तहत का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम नारायणपुरा के गत खसरा नम्बर 58 रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 83 रकबा 12 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 137 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 153 रकबा 54 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 75 रकबा 12 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 124 बीघा 15 बिस्वा में प्रार्थी के पिता रामाकिशन पुत्र शिवबक्स की सहखातेदारी की भूमि अवस्थित रही है । प्रार्थी के पिता रामाकिशन के स्वर्गवास होने पर उपरोक्त खसरो मे जरिए नामान्तरकरण संख्या 82 दिनाक 14.6.1973 को प्रार्थी के पिता के स्थान पर प्रार्थी के भाई प्रभुदयाल, श्यामसुन्द, रामकिशार, रामेश्वर एवं नटवर (प्रार्थी) पुत्रान रामाकिशन का नाम अंकित किया गया । जो जमाबन्दी खतौनी सम्वत 2030–2033 में अंकन है । सम्वत 2034–2037 में राजस्व रेकर्ड मं खसरा संख्या 58 रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा में प्रार्थी का नाम बिना किसी कारण लिपिकीय त्रुटि से हटा दिया । प्रार्थी के भाई रामप्रसाद द्वारा अपना1/4 हिस्सा गोमाराम पुत्र भूराराम को बेचान कर दिया जिसका नामान्तरकरण संख्या 110 दिनॉक 21.7.1977 को भरा गया । द्वितीय भू–प्रबन्ध में खसरा नम्बर 58 के नये खसरा नम्बर 64,65,75 बने तथा खसरा नम्बर 75 गोमाराम पुत्र भूराराम की खातेदारी मे रखा गया । प्रार्थी का नाम गत खसरा नम्बर 58 वर्तमान खसरा नम्बर 64,65 में से हटा दिया । प्रार्थी को जानकारी राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त करने पर हुई । खसरा नम्बर 58 जिसके नये नम्बर 64,65,73 वर्तमान में नये राजस्व ग्राम बुद्वदेवपुरा में अवस्थित है । खसरा नम्बर 73 गोमाराम पुत्र भूराराम के नाम है जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी का कोई विवाद नही है । प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम बुद्वदेवपुरा (नारायणपुरा) के गत खसरा नम्बर 58 नवीन खसरा नम्बर 64,65 रकबा 5.24 हैक्टर में प्रार्थी का नाम अंकित राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु किये जाने के आदेश फरमावें ।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटीस तलब किया गया । अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि पैरा संख्या 1से5 तक में सेटलमेन्ट से पूर्व की स्थिति बताई गई है जो रिकार्ड जिला कार्यालय में जमा हो चुका है, रिकार्ड प्राप्त होने पर सूचना तैयार की जा सकती है। पैरा 6 में नये खसरा नमबरो के अंकन है परन्तु परिवर्तन भू–प्रबन्ध से पूर्व है ।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा जमाबन्दी नकल सम्वत 2030–2033, 2034–2037, 2042–2045, 2068–2071, नामान्तरकरण 82, 110 मिलान क्षेत्रफल की प्रति प्रस्तुत की । जमाबन्दी सम्वत 2030–2033 ग्राम नारायणपुरा के गत खसरा नम्बर 58 ,83,137,153,75, में हनुमान मोहन रामप्रसाद पि.शिवबक्ष प्रभुदयाल श्यामसुन्दर नटवर रामकिशोर रामेश्वर पि.रामकिशन ब्राहम्ण सा.देह खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

दर्ज है । सम्वत 2034–2037 ग्राम नारायणपुरा के गत खसरा नम्बर 58 रकबा 43बीघा 11 बिस्वा में हनुमान मोहना पि.शिवबक्स ब्राहम्ण प्रभुदयाल श्यामसुन्दर रामकिशोर रामेश्वर पि.रामाकिशन ब्राहम्ण ना.सं.110 गोगाराम पुत्र भूराराम जाति गुर्जर सा.देह 1/4 खातेदार दर्ज है । नामा.सं.121 दिनॉक 3.10.77 मोहन फौत उसके स्थान पर ओमप्रकाश खोले मोहन अंकित किया गया । सम्वत 2042–45 की जमाबन्दी ग्राम नारायणराम के खसरा नम्बर 58 रकबा 43 बीघा 11 बिस्वा में हनुमान पुत्र शिवबक्ष कौम ब्राहम्ण औमप्रकाश खोले मोहनलाल ब्राहम्ण प्रभुदयाल श्यामसुन्दर रामकिशोर रामेश्वर पिता रामाकिशन ब्राहम्ण गोगाराम पुत्र भुराराम गुर्जर सा.देह 1/4 खातेदार दर्ज है । नामा.संख्या 143 दिनॉक 7.1.86 के जरिये हनुमान पुत्र शिवबक्ष के स्थान पर प्रभुदयाल पुत्र रामाकिशन कौम ब्राहम्ण के खातेदारी स्वीकृत हुई । प्रभुदयाल स्वंय की खातेदारी अपने भाईयो के नाम स्वीकृत हुई बाकी इन्द्राज जमाबन्दी बदस्तुर अंकन है । जमाबन्दी सम्वत 2068–71 ग्राम बुद्वदेवपुरा पटवार मण्डल नारायणपुरा के खसरा नम्बर 64 रकबा 0.95 हैक्टर,खसरा नम्बर 65 रकबा 4.29हैक्टर कुल रकबा 5.24 हैक्टर में प्रभुदयाल दत्तक पुत्र हनुमान औमप्रकाश खोले मोहनराम प्रभुदयाल श्यामसुन्द रामकिशोन रामेश्वर पि.रामाकिशन जाति ब्राहम्ण सा.देह खातेदार दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 58,58मि.,58मि. के नये खसरा नम्बर 64,65,73 अंकन हुये है ।

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी वकील ने बहस दौरान बताया कि ग्राम नारायणपुरा के गत खसरा नम्बर 58 रकबा 43बीघा 11 बिस्वा में अपने भाईयो के साथ सम्वत 2030 से 2033 तक नाम संयुक्त रूप से दर्ज रहा तत्पश्चात 2034–2037 में लिपिकीय त्रुटि से नाम छोड़ा गया । इसलिए नाम जोड़ा जावें । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बहस पर मनन किया गया, जमाबन्दी सम्वत 2030–2033 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के पिता रामाकिशन के स्वर्गवास पश्चात उक्त भूमि खसरा नम्बर 58 में अपने भाईयो के साथ प्रार्थी का नाम दर्ज रहा है । सम्वत 2034–37 के दौरान प्रार्थी का नाम अंकन होने से रह गया है । प्रश्नगत भूमि प्रार्थी एवं उनके वंशज की पैतृक भूमि दर्ज चली आई है । सहवन से उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम दर्ज होने से रह गया है । चालू जमाबन्दी ग्राम बुद्वदेवपुरा के खसरा नम्बर 64,65 में प्रार्थी का नाम अंकन किये जाने का निवेदन किया है । प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड गत खसरा नम्बर 58 नये खसरा नम्बर 64,65 मे दर्ज नही होने की पुष्टि राजस्व जमाबन्दीयो से होती है । इस सम्बन्ध में अप्रार्थी द्वारा भी किसी प्रकार की स्पष्ट रूप से आपत्ति प्रस्तुत नही की है । मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 58 के नये खसरा नम्बर 64,65,73 बने है जिसमे खसरा नम्बर 73 की भूमि पूर्व क्रेता गोगाराम के अलग भूमि दर्ज हो चुकी है । अब खसरा नम्बर 64,65, में प्रार्थी का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार काबिल है ।

आदेश

ग्राम बुद्वदेवपुरा पटवार मण्डल नारायणपुरा के खसरा नम्बर 64 रकबा 0.95 हैक्टर खसरा नम्बर 65 रकबा 4.29 हैक्टर कुल रकबा 5.24 हैक्टर भूमि में खातेदार प्रभूदयाल श्यामसुन्दर रामकिशोर रामेश्वर पिता रामाकिशन के साथ प्रार्थी नटवर पुत्र रामाकिशन का नाम जोड़े जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त अनुसार प्रार्थी को अपने भाईयो के साथ खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । बाकी खाता बदस्तूर रहेगा । राजस्व रेकार्ड में उपरोक्तानुसार दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो ।

आदेश आज दिनाँक 9/1/15 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)